

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2473

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्रीमती मीना वर्मा
पार्षद नगरपालिका महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

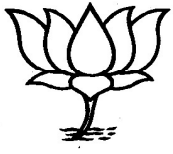
सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी/जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2474

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्री हफीज कुरैशी
पार्षद नगरपालिका महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

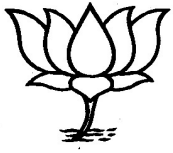
सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी/जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2475

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्रीमती माधवी सिक्का
पार्षद नगरपालिका महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

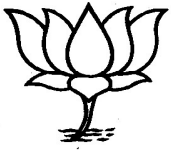
सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी/जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2476

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्री मंगेश टांकसाले
पार्षद नगरपालिका महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

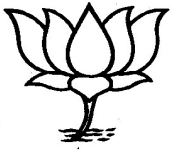
सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी / जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2477

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्री महेन्द्र जैन
पार्षद नगरपालिका महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

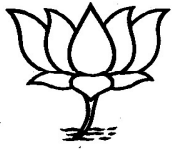
सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी/जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2478

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्री मुन्ना देवार

पार्षद नगरपालिका महासमुंद

जिला — महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

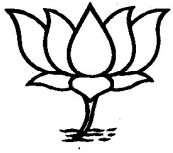
सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी / जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2479

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्री पवन पटेल
पार्षद नगरपालिका महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

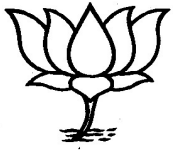
सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी/जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय



कं. 2480

दिनांक: 08 / 07 / 2022

निष्कासन आदेश

प्रति,

श्री मनीष शर्मा
पार्षद नगरपालिका महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

आपके विरुद्ध आरोप है कि नगरपालिका परिषद महासमुंद अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, के विरुद्ध आपके द्वारा कांग्रेस के साथ सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ किया है। यह पार्टी की छवि धूमिल करने का कृत्य है एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी ने उपरोक्त आरोप में आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सूचनार्थ

(पवन साय)

प्रदेश महामंत्री (संगठन)

प्रतिलिपि :-

1. मा. विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष
2. जिला संगठन प्रभारी/जिलाध्यक्ष भाजपा महासमुंद